प्रेस विज्ञप्ति
11/02/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 09.02.2026 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसके तहत हितेश कुमार सिंगला की लगभग 1.03 करोड़ रुपये की संपत्ति और उन बैंक खातों में जमा राशि को कुर्क किया गया है, जिनका उपयोग अपराध की आय को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।

सीबीआई, एसीबी मुंबई द्वारा हितेश कुमार सिंगला और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 409, बीएनएस की धारा 316(5) और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1) (ए) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

इससे पहले, ईडी ने बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ ऑफिसर हितेश कुमार सिंगला (निलंबित) को 17.09.2025 को अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था, जो फरार था। इसके बाद, हितेश कुमार सिंगला को आरोपी बनाते हुए एक अभियोजन शिकायत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, ग्रेटर बॉम्बे में दायर की गई। माननीय न्यायालय ने 21.01.2026 को शिकायत का संज्ञान लिया। वर्तमान में, हितेश कुमार सिंगला न्यायिक हिरासत में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है।

ईडी की जांच में पता चला कि मई 2023 से जुलाई 2025 की अवधि के दौरान, हितेश कुमार सिंगला ने दुर्भावनापूर्ण और आपराधिक इरादे से, बिना अनुमति के सावधि जमा (टीडी), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खाते, बचत बैंक (एसबी) खाते और चालू खाते (सीए) धोखाधड़ी से बंद कर दिए। इन खातों से प्राप्त धनराशि को एसबीआई में उनके निजी बचत खातों में जमा कर दिया गया।

जांच में आगे पता चला कि आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लगभग 230 बैंक खातों को निशाना बनाया, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, नाबालिगों, मृत ग्राहकों और निष्क्रिय खातों जैसे कमजोर वर्गों से संबंधित खातों को, ताकि उनकी पहचान न हो सके। कुल मिलाकर लगभग 16.80 करोड़ रुपये की राशि का गबन किया गया। बाद में इस धनराशि को शेयर बाजार, रियल मनी गेमिंग वेबसाइटों, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया गया और हितेश कुमार सिंगला के निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया।